पत्रांक- अ0स0क0 08-06/2010 (पार्ट) ..../

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना

पटना, दिनांक

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रीय विकास योजना (केन्द्र प्रायोजित योजना) के अन्तर्गत पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, बांका, सुपौल एवं किशनगंज में स्वीकृत 16 इकाई अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत प्रथम किस्त के सामानुपातिक राज्यांश की राशि ₹ 196.00 लाख (एक करोड़ छियान्वे लाख) मात्र की स्वीकृति के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में कहना है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, बांका, सुपौल एवं किशनगंज में स्वीकृत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रति इकाई 98.00 लाख रुपये की दर से प्रदान की गई है एवं एवं 3/5(10)/2013-पी.पी., 3/5(5)/2013-पी.पी., 3/5(14)/2013-पी.पी, 3/5(13)/2013-पी.पी., 3/5(16)/2013-पी.पी. एवं 3/5(2)/2013-पी.पी. दिनांक 30.07.2014 एवं 7.08.2014 के द्वारा स्वीकृत 16 इकाई अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु प्रथम किस्त की राशि ₹ 196.00 लाख (एक करोड़ छियान्वे लाख) मात्र राज्यांश के रूप में स्तंभ 8 के अनुरूप व्यय की स्वीकृति दी जाती है:–

(राशि लाख रूपये में)

जिला का नाम	परियोजना का नाम	इकाई की संख्या	इकाई लागत	भारत सरकार से स्वीकृत कुल राशि	निर्धारित केन्द्रांश की राशि	निर्धारित राज्यांश की राशि	राज्यांश के प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृति राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
पूर्वी चम्पारण	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	2	98.00	196.00	147.00	49.00	24.50
सीतामढ़ी	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	1	98.00	98.00	73.50	24.50	12.25
मधुबनी	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	1	98.00	98.00	73.50	24.50	12.25
बांका	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	1	98.00	98.00	73.50	24.50	12.25
सुपौल	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	1	98.00	98.00	73.50	24.50	12.25
किशनगंज	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	10	98.00	980.00	735.00	245.00	122.50
	कुल	**16**		**1568.00**	**1176.00**	**392.00**	**196.00**

2. उपर्युक्त स्वीकृत एवं आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय मुख्यशीर्ष 4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 051- निर्माण, मांग संख्या 30, उपशीर्ष 0307- अल्पसंख्यकों के लिये बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम, विपत्र कोड- P 4250000510307, विषय

शीर्ष 53 01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपबंधित राशि से राज्यांश मद में वित्तीय वर्ष 2015-16 में विकलनीय है ।

3. विमुक्त राशि की निकासी अवर सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में की जायेगी ।

4. इस राशि की निकासी अवर सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा ए0सी0 विपत्र पर अग्रिम निकासी कर बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से कार्यकारी एजेंसी प्रबंध निदेशक, बिहार स्वास्थ्य सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को अपने पी0एल0 खाता संख्या 244 में जमा करेंगे ।

5. यह योजना चालू योजना की श्रेणी में है तथा योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्यांश का बजट उपबंध प्राप्त है ।

6. वित्त विभाग के पत्रांक-7355 वि0 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नही है ।

7. इस योजना अंतर्गत वित्त विभाग के पत्रांक 4989 वि0 (2) दिनांक 16.05.2013 की सभी कंडिकाओं का अनुपालन संबंधित विपत्र में आपेक्षित होगा ।

8. योजना का कार्यान्वयन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में किया जाना है एवं समय सीमा के अंदर कार्य पूर्ण कर उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को भेजना सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जाती है ।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :- प्रबंध निदेशक, बिहार स्वास्थ्य सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 157 पटना, दिनांक 22/06/15

स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, बांका, सुपौल एवं किशनगंज / जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, बांका, सुपौल एवं किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के प्रधान सचिव
19.6.15